निविदा प्रपत्र

(तकनीकी भाव पत्र)

कार्यालय— मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बुलन्दशहर

बाबू बनारसीदास राजकीय चिकित्सालय जनपद बुलन्दशहर में उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु—

——

ई—निविदा पोर्टल पर ऑनलाईन निविदा अपलोड़ करने की तिथि	दिनांक 17—02—2020 से दिनांक 28—02—2020 सायं 05:00 बजे तक
ई—निविदा में सलंग्न तकनीकी प्रपत्र एवं एफ0डी0आर0 / निविदा मूल्य की डिमाण्ड ड्राफ्ट कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 29—02—2020, अपराहन 12:00 बजे तक
निविदा की तकनीकी बिड खोले जाने की तिथि, समय व स्थान	दिनांक 29—02—2020, अपराहन 03:00 बजे। कार्यालय— मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बुलन्दशहर
निविदा की वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि, समय व स्थान	तकनीकी बिड की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
निविदा फार्म के कुल पृष्ठों की सख्या	20
ई0 निविदा पोर्टल	http://etender.up.nic.in
ई—निविदा शुल्क	रू0 5900 / —(जी0एस0टी सहित) बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बुलन्दशहर के नाम हो
ई—निविदा / कार्य का लागत मूल्य	रूपये 5,53,94,510 / —
कार्य की अवधि	1 माह

बिन्दुओं में अंकित संदर्भित संस्थाओं में पंजीयन न होने की दशा में निविदादाता द्वारा भाग लेने की स्थिति में, निविदा की कुल अनुमानित मूल्य रू0 5,53,94,510 / — मूल्य का 2 प्रतिशत रू0 11,07,890 / — की बैंक गारण्टी / एफ0डी0आर0 / बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बुलन्दशहर के नाम बंधक होगी, की छायाप्रति निविदा में संलग्न कर अपलोड करनी होगी एवं मूलप्रति निविदा जमा करने की निर्धारित समयावधि में निविदा के तकनीकी भाव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
बुलन्दशहर

<u>निविदा की नियम व शर्ते</u>

श्री राज्यपाल महोदय की ओर से दो वर्ष तक दरों की वैधता हेतु दर/मात्र अनुबन्ध के अधीन बाबू बनारसीदास राजकीय चिकित्सालय जनपद बुलन्दशहर में उपकरणों/साज–सज्जा की आपूर्ति एवं स्थापना/उच्चीकरण कराये जाने हेतु टर्नकी आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी निर्माता फर्म अथवा फर्म द्वारा अधिकृत डीलरों/एजेण्टों के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। समस्त क्रय प्रक्रिया को महानिदेशालय के पत्र संख्या– 11फ/प्रस्ताव /2019–20/1184 दिनांक 16 मई, 2019 के निर्देशानुसार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रचलित क्रयनीति, उ0प्र0 प्रोक्योमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योमेन्ट ऑफ गुडस), 2016 तथा उद्योग विभाग व वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप निविदादाता को न्यूनतम समस्त शर्ते पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह निविदा के पूरे भाग या किसी एक भाग या सम्पूर्ण निविदा को बिना कारण बताए विभाजित कर सकता है अथवा निरस्त कर सकता है अथवा निविदा में उपस्थित उपकरणों की मात्रा को घटा या बढ़ा सकता है। मुख्य शासनादेश जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, निम्नवत हैः–

- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अद्यतन क्रयनीति का शासनादेश संख्या–809/पांच–1–2012–3(14) /04 दिनांक 14 जून, 2012 एवं संशोधन शासनादेश 1878/पांच–1–12–3(14)/04 दिनांक 29 नवम्बर, 2012

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग–2 का शासनादेश संख्या–5/2016/253/18–2–2016–3 (एसपी)/2010 दिनांक 01 अप्रैल, 2016

- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रिांनिक विभाग के शासनादेश सख्या 10/2018/489/ 78–2–2018–42 आई0टी0/2017 टी0सी0 दिनांक 26/07/2018

2. निविदादाता को नीचे दिये प्रपत्रों को निविदा फार्म/तकनीकी भाव पत्र के साथ संलग्न करते हुए अपलोड करना होगा एवं साथ ही दिये गये प्रारूप में पृष्ठ संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अमान्य होगीः–

क्र. सं.	निविदा के तकनीकी भाव पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण	पृष्ठ संख्या
A.	निविदा फार्म मूल रूप में।	
B.	जिला उद्योग केन्द्र / एन0एस0आई0सी0 / जेम पोर्टल, नई दिल्ली (पूर्व में डी0जी0एस0एण्डडी0, नई दिल्ली) संस्थाओं में फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य होगा, तथा इनमें से किसी भी एक संस्था में मेडिकल उपकरणों एवं हॉस्टिपल फर्नीचर आदि का वर्णन अनिवार्य होगा, किसी अन्य उत्पाद के पंजीयन मान्य नही होंगें।	
C.	जिनका पंजीयन उपरोक्त बिन्दुओं के अनुरूप संस्थाओं में हैं उन्हें रू0 5,000 / — व रू0 10,000 / —(अर्थात कुल रू0 15,000 / —) की बैंक गारण्टी / एफ0डी0आर0 / बैंक डांफ्ट के रूप में (मूलप्रति), जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बुलन्दशहर के नाम बंधक होगी, निविदा में संलग्न कर अपलोड करना अनिवार्य होगा।	
D.	बिन्दुओं में अंकित संदर्भित संस्थाओं में पंजीयन न होने की दशा में निविदादाता द्वारा भाग लेने की स्थिति में, निविदा की कुल अनुमानित मूल्य रू0 5,53,94,510 / — मूल्य का 2 प्रतिशत रू0 11,07,890 / — की बैंक गारण्टी / एफ0डी0आर0 / बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बुलन्दशहर के नाम बंधक होगी, की छायाप्रति निविदा में संलग्न कर अपलोड करनी होगी एवं मूलप्रति निविदा जमा करने की निर्धारित समयावधि में निविदा के तकनीकी भाव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
E.	उ0प्र0 जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र।	
F.	आयकर पैन कार्ड की प्रति।	
G.	फर्म के लेटर पैड पर उत्तर प्रदेश में फर्म के सर्विस इन्जीनियर का नाम व मोबाईल नं0	
H.	फर्म के लेटर पैड पर बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड विवरण।	
I.	निविदादाता फर्म को इस आशय का अपने लैटर पैड पर प्रमाण पत्र देना होगा कि आमंत्रित निविदा के सभी प्रकार के उपकरणों में भाग लिया गया है	
J.	कैटलॉग की प्रति।	
K.	निविदा के कुल मूल्य रू0 5,53,94,510 / — की आपूर्ति हेतु निविदादाता का विगत 3 वर्षों (2016—17, 2017—18 एवं 2018—19) में विभागीय क्रय नीति के अनुरूप फर्म के टर्नओवर न्यनूतम 5 करोड़ प्रतिवर्ष कुल रू0 15 करोड़ होने के चाटर्ड ,काउटेण्ट द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र।	
L.	निविदादाता फर्म उत्तर प्रदेश की है या अन्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बाहर की फर्म होने की दशा में निविदादाता फर्म का उत्तर प्रदेश में डिपो / सर्विस सेन्टर व जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
M.	फर्म के निदेशक / पार्टनर / प्रोपराइटर का जिला मजिस्टेंट द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र।	
N.	100 / — के स्टाम्प पेपर पर निम्न बिन्दुओं को मान्य करने का शपथ पत्र	
(1)	निविदा में भाग ले रही फर्म / निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र फोटोयुक्त एवं नोटराईज्ड हो, देना होगा कि— किसी भी विभाग / किसी भी राज्य में भी किसी संस्था द्वारा काली सूची में शामिल अथवा डिबार नही की गयी एवं उसकी फर्म के विरूद्ध कोई कोर्ट केस / विजिलेंस केस / सी0बी0आई0 केस विगत तीन वर्षो एवं वर्तमान में लम्बित नहीं है एवं फर्म के विरूद्ध कोई चार्जशीट दाखिल संदर्भित एजेसियों द्वारा दाखिल न की गयी हो। चार्जशीटेड फर्म पर ही यह लागू होगा, अन्यथा नही।	
(2)	आपूर्तित सामग्री की गारण्टी की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष की होगी। तत्पश्चात 5 वर्ष की वारण्टी / अनुरक्षण दिया जायेगा।	
(3)	इस आशय का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा कि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष (2019—20) में प्रश्नगत निविदा में उनके द्वारा इस निविदा में दी जा रही दरों से कम दरों पर उक्त सामग्री का विक्रय उत्तर प्रदेश / अन्य राज्यों में कही पर भी नहीं किया गया है, यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदादाता फर्म अन्तर की धनराशि विभाग को 8 प्रतिशत वार्षिक दण्ड ब्याज सहित भुगतान करेगी।	
(4)	आशय का शपथ पत्र भी लगाना अनिवार्य होगा कि निविदा की समस्त शर्तें मान्य है।	

3. निविदा निविदादाताओं द्वारा http://etender.up.nic.in पोर्टल पर दो भागों में अपलोड की जायेगी, प्रथम भाग तकनीकी भाव पत्र एवं द्वितीय भाग वित्तीय भाव पत्र (BOQ) का होगा। ई–निविदा दिनांक 17.02.2020 प्रातः 11 बजे से दिनांक 28.02.2020 सायं 5 बजे तक http://etender.up.nic.in पोर्टल से डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकेगी। साथ ही केवल तकनीकी भाव पत्र की मूलप्रति (हार्डकापी) में सीलबन्द लिफाफे में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बुलन्दशहर के कार्यालय में दिनांक 29.02.2020 को अपराहन 12 बजे तक जमा किया जायेगा। निर्धारित समय अवधि के उपरान्त कोई भी निविदा तकनीकी भाव पत्र की मूलप्रति स्वीकार्य नही होगी।
4. ऑनलाईन निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि पर यदि संबंधित अधिकारी व समिति सदस्य किसी राजकीय कार्यों में व्यस्त होते है, कि दशा में निविदा खोले जाने की अगली तिथि कार्यालय के सूचना पट्ट पर अंकित कर दी जायेगी।
5. स्वीकृत/योग्य निविदादाता फर्म को क्रय आदेश मूल्य की धनराशि का 8 प्रतिशत जमानत धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/चेक/बैंक गारण्टी के माध्यम के रूप में, जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बुलन्दशहर के नाम बंधक हो, जमा करना अनिवार्य होगा जो कि भुगतान तिथि से छः माह तक बन्धक रहेगी तथा निविदादाताओं व अधोहस्ताक्षरी के बीच 100/– के स्टाम्प पेपर पर आपूर्ति का अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में संलग्न किये गये प्रपत्र को मांगे जाने पर पुष्टि हेतु मूल प्रति कार्यालय को अवलोकित कराना अनिवार्य होगा।

   7.1. वित्तीय हस्त–पुस्तिका के खण्ड–5, भाग–1 परिशिष्ट–XVIII के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा जारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–5/2016/253/18–2–2016–3 (एसपी)/2010 दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के चैप्टर के बिन्दु–14.35 इंगित किये गये निर्देशानुसार (However, to discourage frivolous complaints, a non-refundable fee of suitable amount (linked to the value of the purchase) Shall be charged as may be prescribed) के अनुरूप किसी भी संस्था, फर्म या जनप्रतिनिधियों को अन्य किसी भी निविदादाता के संबंध में किसी भी शिकायत/पत्र को तभी संज्ञान में लिया जा सकेगा जब शासनादेश के अनुरूप निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 5,900/–(जी0एस0टी0 सहित) तथा रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) अतिरिक्त नॉन रिफंडेबल राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ0डी0आर0/डिमांड डांफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा, एफ0डी0आर0/डिमांड डांफ्ट जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बुलन्दशहर के पक्ष में देय होगा। अन्यथा की दशा में किसी भी प्रकार की शिकायत को संज्ञान में नही लिया जायेगा।

   7.2. शिकायतकर्ता को अपना फोटोयुक्त आई0डी0 (वोटर आई0डी0/आधार कार्ड/डांईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट या अन्य) एवं शपथ पत्र जो नोटराईज्ड होगा व 7.1 में निर्धारित धनराशि के साथ संलग्न शिकायत को ही संज्ञान में लिया जायेगा। प्रत्यावेदन यदि गलत/फर्जी पुष्टि में पाया गया तो उक्त की दशा में शिकायतकर्ता को राजकीय कार्य में बाधा डालने व जनहित कार्यो में अवरोध उत्पन्न करने की श्रेणी में मानते हुए नियमानुसार उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

   7.3. वित्तीय हस्त–पुस्तिका के खण्ड–5, भाग–1 परिशिष्ट–XVIII के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा जारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–5/2016/253/ 18–2–2016–3(एसपी)/2010 दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के चैप्टर–17 के बिन्दु–17.1 इंगित किये गये निर्देशानुसार– Provided that after the declaration of a bidder as successful the application for review may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings; के अनुरूप केवल वही फर्म पुनः परीक्षण हेतु निवेदन या प्रत्यावेदन कर सकती है, जिसनें निविदा में भाग लिया हो। अन्य किसी भी फर्म या प्रतिनिधि द्वारा दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन यदि बिन्दु–7 को पूर्ण न करते हुए दिया जायेगा, मान्य नही होगा।

8. वित्तीय हस्त–पुस्तिका के खण्ड–5, भाग–1 परिशिष्ट–XVIII के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा जारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–5/2016/253/18–2– 2016–3(एसपी)/2010 दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के चैप्टर–17 के बिन्दु–17.4 के अनुरूप (Whoever intentionally submits any vexations,

frivolous or malicious application or complaint under these rules, with the intention of delaying or defeating any procurement or causing loss to any procuring entity or any other bidder, shall be seriously dealth with) प्रत्यावेदन यदि गलत/फर्जी पुष्टि में पाया गया तो उक्त की दशा में शिकायतकर्ता को राजकीय कार्य में बाधा डालने व जनहित कार्यो में अवरोध उत्पन्न करने की श्रेणी में मानते हुए नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

9. आमंत्रित निविदा में फर्म को दिये गये क्रय आदेश की आपूर्ति प्रत्येक दशा में आपूर्ति आदेश की तिथि से 01 माह के अन्दर पूरा किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
10. समस्त निविदा फार्म एवं संलग्न प्रपत्रों पर पृष्ठ संख्या लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही निविदा शर्तों के अनुरूप आपेक्षित प्रपत्रों को नोटरी कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता द्वारा निविदा शर्तों के अनुरूप संलग्न किये जा रहे समस्त प्रमाण पत्र विभागीय क्रयनीति के निर्देशानुसार किसी भी प्रपत्र के परीक्षण एवं सत्यापन में यदि वह गलत पाया जाता है तो निविदा अमान्य किये जाने के साथ जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को पांच वर्ष हेतु काली सूची में डालते हुये फर्म के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही भी की जायेगी।
12. मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–05/2016/253/18–2–2016–3(एसपी0)/2010 दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के चैप्टर–23 के बिन्दु– 23.20 **"A turnkey contract is a mix of goods contract and works contract." "The responsibility of the contractor will include for the plant; assembling, installing and erecting the same at site as needed.** के अनुरूप उस निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी जो आमंत्रित निविदा के सभी प्रकार के उपकरणें की दरें कोट करेगा एवं कुल योग के आधार पर न्यूनतम निविदा ही मान्य होगी। उक्त आधार के अनुसार योजना के समस्त प्रकार के उपकरण क्रय किये जा सकेंगे।
13. निविदादाता फर्म को इस आशय का अपने लेटर पैड पर प्रमाण पत्र देना होगा कि आमंत्रित निविदा के सभी प्रकार के उपकरणों में भाग लिया गया है।
14. वित्तीय वर्ष समाप्ति में बचे अल्प कार्यदिवसों को व विभागीय क्रय नीति 809/पांच–1– 2012–3(14)/04 दिनांक 14 जून, 2012 के पृष्ठ सं0–2 बिन्दु–3(1) अनुरूप दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत महानिदेशालय से शासन को प्रेषित प्रस्ताव की प्रत्याशा में आमंत्रित की गयी है। आपूर्ति आदेश वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही किये जायेगे। क्रय की अंतिम कार्यवाही वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात पूर्ण की जायेगी।
15. निविदा की दरें अनुबन्ध की तिथि से दो वर्ष तक मान्य रहेगी।
16. निविदा की नियम व शर्तो से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के वाद हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी, मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ होगें।
17. निविदादाता द्वारा वित्तीय भाव पत्र (BOQ) में प्रति उपकरण आदि (उदाहरणार्थ– यदि 50 मेज खरीदी जानी है, तो आपको केवल 01 मेज का मूल्य ही अंकित करना है।) का मूल्य जी0एस0टी0 सहित दिया जायेगा। इसके उपरान्त समिति द्वारा आवश्यकतानुसार उपकरण आदि का क्रय किया जायेगा।

निविदादाता को उपरोक्त समस्त शर्तें मान्य है।

निविदादाता फर्म का हस्ताक्षर व मोहर

____

Signature Not Verified

Digitally signed by KAILASH NATH TIWARI
Date: 2020.02.18 15:01:01 IST
Location: Uttar Pradesh-UP